



न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी-सह-नीलाम पत्र पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।

आदेश पत्रक

जिला - गुमला

वाद सं०- 45/2019-20

केस का प्रकार - नीलाम पत्र

| आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई की दिप्पणी एवं तारीख |
|-------------------------------------|--|---|
| | <p>बैंक ऑफ इण्डिया, चैनपुर</p> <p>बनाम</p> <p>आशामनी कुजूर विपक्षी</p> <p>अधियाची पदाधिकारी शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया, चैनपुर शाखा से लोक मांग वसूली अधिनियम की धारा 5 के तहत नीलाम-पत्र दायर करने की अधियाचना प्राप्त हुई जिसमें आशामनी कुजूर, पति- अनुरंजन कुजूर, ग्राम- चैनपुर डारंटोली, पोस्ट- चैनपुर, थाना- चैनपुर, जिला- गुमला के विरुद्ध देनदार दिखाते हुए राशि 42924.00 रुपये पर बकाया राशि दर्शाया गया था।</p> <p>बैंक ऑफ इण्डिया, चैनपुर के द्वारा दिया गया अदेय प्रमाण पत्र के आधार पर वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>अतः वाद की कार्यावाही समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं सशोधित</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी -सह- नीलाम पत्र पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी -सह- नीलाम पत्र पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।</p> | |